(वाद संख्या–1182/18)

05.03.2020

परिवादी, राम किंकर प्रसाद, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, राम किंकर प्रसाद, बर्खास्त केयर कॉर्डिनेटर, ए0आर0टी0 केन्द्र, आरा द्वारा वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 अनुभा सिंह एवं कॉन्सलर, विजय कुमार के द्वारा डराकर, दबाव बनाकर व हत्या कर देने की धमकी आदि के आधार पर पद से त्याग–पत्र लिखवा लेने से संबंधित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में परिवादी द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के समक्ष परिवाद दिया गया था जो फाईल संख्या–3258/4/6/2017/OC के रूप में पंजीकृत किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा परिवादी के परिवाद–पत्र को नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकार को निर्देश देते हुए मामले को समाप्त कर दिया गया।

संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक–03.01.2018 को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन), भोजपुर को उचित माध्यम से ए0आर0टी0 केन्द्र, आरा के सभी वरीय कर्मचारियों को उसे प्रताड़ित करने के आधार पर इस्तीफा दिया गया। दो दिन बाद पुनः परिवादी द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन), भोजपुर, आरा को भूलवश व पारिवारिक उलझन में आकर दिनांक–03.01.2018 को अपना इस्तीफा देने के आधार पूर्व में दिये गये त्याग–पत्र को अस्वीकार कर पुनः योगदान करने की अनुमति देने से संबंधित आवेदन दिया गया। त्याग–पत्र वापस लेने संबंधी परिवादी के प्रार्थना पर विचार करने हेतु चार सदस्यीय समिति द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन), भोजपुर, आरा के निर्देश पर विचार किया गया। चार सदस्यीय टीम द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह उल्लिखित किया गया है कि जांच के क्रम में परिवादी द्वारा त्याग–पत्र देने का जो कारण दर्शाया गया है वह असत्य पाया गया। परिवादी के त्याग–पत्र पर निर्णय लेने का अधिकार

सिविल सर्जन, भोजपुर को है। अतः उक्त के आधार पर परिवादी के त्याग–पत्र को स्वीकार करते हुए सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा द्वारा त्याग–पत्र देने के एक दिन बाद ही दिनांक–04.01.2018 को परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना को तद्नुसार सूचना दे दी गयी। चार सदस्यीय समिति द्वारा परिवादी के पूर्व के चरित्र के आधार पर उसे पुनः ए0आर0टी केन्द्र, भोजपुर में योगदान कराये जाने व सेवा में बनाये रखने के अनुरोध को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा द्वारा परिवादी को सेवामुक्त कर दिया गया।

परिवादी एक संविदा कर्मी है तथा उसके कार्य के आधार पर तथा संविदा के शर्त्तों का पालन करने पर उसे संविदा पर रखने या न रखने का क्षेत्राधिकार, सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा को है। सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा द्वारा परिवादी के कार्य के संबंध में चार सदस्यीय समिति द्वारा जांच करवाई गयी तथा जांच–प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर सिविल सर्जन, आरा द्वारा उसे सेवामुक्त कर दिया गया है।

सिविल सर्जन, आरा का उपरोक्त कृत्य नियमानुसार उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर आयोग के स्तर पर बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>